

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 4923

30 07 2024

विषय: IS 4923 : 2017 (खोखले इस्पात के खंड रचनात्मक प्रयोग के लिए— विशिष्टि) में संशोधन संख्या 3 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 4923 : 2017 में संशोधन संख्या 3 प्रकाशित हो चुकी है । IS 4923 : 2017 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की अंतिम तिथि **27 दिसम्बर 2024** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 4923 : 2017 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **27 दिसम्बर 2024** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(शिवम आहूजा) वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 4923 30 07 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 3 to Indian Standard 4923 : 2017 (Hollow Steel Sections for Structural Use—Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 3 to IS 4923 : 2017 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 3 to IS 4923 : 2017 is 27 December 2024. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by 27 December 2024

(Shivam Ahjua) Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices